इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2018-भाद्र 30 शक 1940

# भाग ४

## विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959, (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 263 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश करती है, कि मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23

सन् 2018) के द्वारा उक्त संहिता की धारा 41 के विलोपित किए जाने के ठीक पूर्व बनाये गये समस्त नियम उक्त संहिता की धारा 258 के अंतर्गत बनाये गये नियम समझे जाएंगे और उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार नए नियमों द्वारा जब तक वे शून्यवत या परिवर्तित नहीं कर दिये जाते, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू रहेंगे।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (कमांक 23 सन् 2018) के प्रवत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हरि रंजन राव**, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

क्रमांक्र एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6 दिनांक २० सितम्बर, २०१८ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, dated 20th September, 2018

# No. F.- 2-9/2018/VII/Se.6

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 263 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, directs that all rules made under section 41 of the said Code immediately prior to its deletion by the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018), shall be deemed to be made under section 258 of the said Code and shall apply mutatis mutandis till annulled or altered by new rules in accordance with the provisions of the said Code.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018) that is 25th September, 2018.

#### भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

# क्रमांक एफ. 2-13/2018/सात/शा.6

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (पैंसठ-क) के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना कमांक 187-6477-सात -एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 को प्रकाशित की गई थी, को अतिष्ठित करते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की सम्भावना है. एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से पंद्रह दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

किसी भी आपित या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन, वल्लम भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

## प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू साजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 है।
  - (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

# 2. परिभाषाएं -

- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --
  - (क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959(क्मांक 20सन् 1959);
  - (ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत हैं, इन नियमों से संलग्न प्ररूप,
  - (ग) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
  - (घ) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा;
  - (ङ) 'दल का लीडर' से अभिप्रेत हैं, नियम 8 के अधीन गठित दल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति।

- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो कि इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, तथा संहिता में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो संहिता में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।
- 3. सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन प्ररूप-एक में होगा।
- 4. आवेदक, सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए ऐसी फीस का भुगतान करेगा जो कि कलेक्टर, समय—समय पर, आयुक्त, भू—अभिलेख के अनुमोदन से विनिश्चित करे:

परन्तु नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन भिन्न भिन्न जिलों में सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों को संदत्त किये जाने वाले अपेक्षित प्रभारों पर आधारित भिन्न भिन्न जिलों के लिए भिन्न भिन्न फीस नियत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि नियम 7 के उपनियम(1) के अधीन ऐसी एजेंसियों के अधिकृत होने तक आवेदक इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियत फीस का भुगतान करेगा।

- 5. धारा 129 की उपधारा (2) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार को प्ररूप—दो में प्रस्तुत की जायेगी।
- 6. धारा 129 की उपधारा(7) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्ररूप—तीन में प्रस्तुत की जायेगी।
- 7. (1) कलेक्टर, आयुक्त, भू—अभिलेख के नियंत्रणाधीन धारा 129 के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक एजेंसी को जिले के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
  - (2) तहसीलदार, कलेक्टर द्वारा, समय-समय पर, जारी निदेशों के अनुसार धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में राजस्व निरीक्षक या नगर रार्वेक्षक की सहायता करने के लिए उपनिथम(1) के अधीन प्राधिकृत एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी को लगा सकेगा।
  - (3) उपखण्ड अधिकारी, कलेक्टर द्वारा, समय–समय पर, जारी निदेशों के अनुसार धारा 129 की उपधारा (6) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने हेतु उपनियम(1) के अधीन प्राधिकृत एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी को लगा सकेगा।
- 8. (1) धारा 129 की उपधारा (6) के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दल में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होगें—

- (क) अधीक्षक, भू-अभिलेख या सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख या राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक दल के लीडर के रूप में; और
- (ख) अन्य राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक सदस्य के रूप में।
- (2) उपखण्ड अधिकारी, यदि वह उचित समझें, उपनियम (1) के अधीन गठित दल में भूमि सीमांकन में विशेषज्ञता रखने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों को रख सकेगा।
- 9. धारा 129 के अधीन संनिर्मित सीमा चिन्हों का माप (डायमेंशन) तथा विनिर्देश अनुसूची के अनुसार होंगे:

परन्तु नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन एजेंसिया अधिकृत होने के ऐसे समय तक, सीमा चिन्हों का माप (डायमेंशन) तथा विनिर्देश वही होगें जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व विनिर्दिष्ट थे।

10. आयुक्त, भू—अभिलेख, समय समय पर, धारा 129 के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए अनुसरित किए जाने वाले तकनीकी अनुदेश जारी कर सकेगा।

अनुसूची— (नियम 9 देखिये) धारा 129 के अधीन सीमांकन के दौरान संनिर्भित किये जाने वाले सीमा चिन्हों के विनिर्देश

स.क्रं.	सीमा चिन्ह का प्रकार	विनिर्देश
1.	प्रापर्टी पिन	(1) गैलवनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील
	टाइप—1 क	बार या प्राइमर की परत के बाद हल्के पीले रंग से दो कोट किये जाएं
		(2) व्यास— 2.5 से.मी.
		(3) लग्बाई— 90 से.मी.
		(4) ऊपरी सिरा–
		(क) ऊपर की ओर 5 से.मी. व्यास का चिपटा(चौड़ा)
		तथा ऊपर से नीचे 2.5 से.मी. स्तूपाकार हो
		(ख) ऊपरी सतह पर निम्नलिखित पद उकेरना
		"मध्यप्रदेश शासन प्रापर्टी पिन टाइप—1.
		छेड़छाड़ या नष्ट न करें"
		(5) स्तूपाकार पिन का निचला सिरानुकीला खांचेदार

		·
		(6) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू—खण्ड संख्यांक केसीमांकन के समय यथास्थिति, पिन को इस प्रकार जमीन के ऊर्ध्वाकार रूप में डाला जाये जो 10 से.मी. जमीन के ऊपर दिखाई दे। (7)कांक्रीट मिक्सर या अन्य उचित सामाग्री के उपयोग द्वारा भूमि पर पिन लगाने के लिए भूमिस्वामी अपनी स्वयं की सामाग्री तथा श्रमिक का उपयोग करेगा।
2.	प्रापर्टी पिन	(1) गैलवनाइजड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील
	टाइप1 ख	बार या प्राइमर की परत के बाद हल्के पीले रंग से दो कोट किये जाएं (2) व्यास— 1.5 से.मी. (3) लम्बाई— 90 से.मी. (4) ऊपरी सिरा— (क) ऊपर की ओर 5 से.मी. व्यास का चिपटा (चौड़ा)
		तथा ऊपर से नीचे 2.5 से.मी. स्तूपाकार हो
		(ख) ऊपरी सतह पर निम्नलिखित पद उकेरना
		''मध्यप्रदेश शासन प्रापर्टी पिन टाइप—1. छेड़छाड़ या नष्ट न करें''
		(5) स्तूपाकार पिन का निचला सिरा नुकीला खांचेदार (6) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू—खण्ड संख्यांक के सीमांकन के समय यथास्थिति, पिन को इस प्रकार जमीन के ऊर्ध्वांकार रूप में डाला जाये जो 10 से.मी. जमीन के ऊपर दिखाई दे। (7)कांक्रीट मिक्सर या अन्य उचित सामाग्री के उपयोग द्वारा भूमि पर पिन लगाने के लिए भूमिस्वामी अपनी स्वयं की सामाग्री तथा श्रमिक का उपयोग करेगा।
3.	प्रापर्टी पिन	(1) आर.सी.सी. पिलर या हल्के पीले रंग में पेन्ट
	टाइप-3	किया हुआ केवल एक पत्थर का स्ताम (2) 60 से.मी.X15 से.मी. X15 से.मी.जमीन के ऊपर 20 से.मी. के साथ कम से कम 15 से.मी. पी.सी.सी. सीमेंट ब्लाक का उपयोग करते हुये जमीन पर स्थिर करना
4.	प्रापर्टी पिलर टाइप-3	(1) (गैलवनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार या प्राइमर की परत के बाद हल्के पीले रंग से दो कोट किये जाएं (2) व्यास- 1.5 से.मी. (3) लम्बाई- 90 से.मी. (4) ऊपरी सिरा-

-			(क) ऊपर की ओर 5 से.मी. व्यास का चिपटा (चौड़ा) तथा ऊपर से नीचे 2.5 से.मी. स्तूपाकार हो (ख) ऊपरी सतह पर निम्नलिखित पद उकेरना "मध्यप्रदेश शासन प्रापर्टी पिन टाइप—1. छेड़छाड़ या नष्ट न करें"  (5) स्तूपाकार पिन का निचला सिरा नुकीला खांचेदार (6) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू—खण्ड संख्यांक के सीमांकन के समय यथास्थिति, पिन को इस प्रकार जमीन के ऊर्ध्वाकार रूप में डाला जाये जो 10 से.मी. जमीन के ऊपर दिखाई दे।  (7)कांक्रीट मिक्सर या अन्य उचित सामाग्री के उपयोग द्वारा भूमि पर पिन लगाने के लिए भूमिस्वामी अपनी
	5.	प्रापर्टी पिन कैप—टाइप—1	स्वयं की सामाग्री तथा श्रमिक का उपयोग करेगा।  (1) पी.सी.सी. ब्लाक या केवल एक पत्थर का स्तम्भ (2) व्यास—15 से.मी.X15 से.मी. X20 से.मी. (3) 90 डिग्री पर बेलनाकार घेरा के साथ 3 से.मी. समान व्यास की कैप की दो विपरीत दिशाओं के बीच पड़ने वाले केन्द्र में बेलनाकार घेरा जो वह खुला हुआ हो  (4) प्रापर्टी पिन के सिरे पर टिकी हुई पतली नाली होने की बेलनाकार घेरा का ऊपरी सिरा (5) केप भूमि के उस स्थान पर रखा जाऐगा जहां कोई प्रापर्टी पिन— टाइप—3 स्थापित की जानी हो तथा पिन प्रापर्टी कैप की सतह तक कैप को बेलनाकार घेरे द्वारा जमीन में स्थापित किया जाएगा (6) प्रापर्टी पिन केप का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा
6	3.	प्रापर्टी पिन केप—टाइप—2	(1) पी.सी.सी. ब्लाक या केवल एक पत्थर का स्तम्भ (2) व्यास—15 से.मी.X15 से.मी. X20 से.मी. (3) 90 डिग्री पर बेलनाकार घेरा के साथ 3 से.मी. समान व्यास की कैप की दो विपरीत दिशाओं के बीच पड़ने वाले केन्द्र में बेलनाकार घेरा जो वह खुला हुआ हो (4) प्रापर्टी पिन के सिरे पर टिकी हुई पतली नाली होने की बेलनाकार घेरा का ऊपरी सिरा (5) केप भूमि के उस स्थान पर रखा जाऐगा जहां कोई

(6) प्रापर्टी पिन केप का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा
---

#### टिप्पणी:

- 1. सीमांकन के दौरान-प्रापर्टी पिन को इन नियमों में उपबन्धित को ऐसे अंतरालों पर सीमा चिन्ह के रूप में रखा जाएगा।
- 2. सीमांकित किये जा रहे सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू—खण्ड संख्यांक के कोनों में प्रापर्टी टाइप—1 या टाइप—2 पिन का उपयोग किया जाऐगा ये सीमांकन होने में भू—खण्ड के चारों कोनों पर या भू—खण्ड के कम से कम चार स्थानों पर स्थापित होंगे।
- 3. प्रापर्टी टाइप—1, टाइप—2 या टाइप—3 पिन का उपयोग सर्वेक्षण संख्यांक की सीमा के समस्त अन्य मध्यस्थ स्थानों में किया जाऐगा जहां सीमा चिन्हों को इन नियमों के अधीन स्थापित किया जाना अपेक्षित है, ब्लाक संख्यांक या भू—खण्ड संख्यांक को सीमांकित किया जा रहा है।
- 4. आवेदक भूमिस्वामी उपयोग किए जाने वाले पिन के टाइप का निर्णय करेगा जब कभी भूमिस्वामी ने एक से अधिक टाइप का विशिष्ट प्रयोजन के लिए विहित किया गया हो।
- 5. जहां जमीन पर प्रापर्टी पिन के भाग में कोई बागड़ (फेन्स) या दीवाल संनिर्मित की गई हो उसमें वृद्धि कर सकेगा और दीवाल या बागड़ के भाग में पिन लगा सकेगा।
- 6. सीमांकन की कार्यवाही के दौरान संनिर्मित सीमा चिन्हों को बेहतर दिखाई देने के लिए भूमिस्वामी के आवेदन पर संनिर्मित सीमाचिन्हों में प्रापर्टी पिन कैप का उपयोग किया जा सकेगा।
- 7. भूमिस्वामी ने जिस भूमि की सीमा पर सीमा चिन्ह सृजित किये हैं संनिर्मित सीमा चिन्हों के अनुरक्षण तथा सुरक्षा के लिए जबाबदेह होगा।
- 8. जहां तहसीलदार भूभिस्वामी या किरी। व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करता है कि किसी व्यक्ति ने बिना किसी प्राधीकार के किसी सीमा चिन्ह को हटाया है या क्षित पहुँचाई है या सीमा चिन्ह की स्थिति में कोई परिवर्तन किया है तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह ठीक समझें, इस प्रकार हटाये गये या क्षित पहुँचाये गये या जिसकी स्थिति में परिवर्तन किया गया है, पांच सौ रुपये प्रति सीमा चिन्ह शास्ति अधिरोपित करेगा। तहसीलदार सीमा चिन्ह को फिर से स्थापित भी करवाएगा तथा इस प्रकार क्षिति कारितऐसे व्यक्ति से पूरे खर्चे तथा अधिरोपित की गई शास्ति से अधिक की वसूली करेगा।
- 9. सी.एल.आर. कतिपय स्थितियों के लिए अंतरालों में वृद्धि करने या कमी करने के निदेश जारी करेगा।

### प्ररूप-एक

	(।नयम.३ दाखए)							
	सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन							
प्रति	प्रति,							
	तहसीलदार/	अपर तह	सीलदा	र/नायब ता	हसीलदार			
	तहसील					•		
	जिला	म प्र						
			na:	<del> </del>	<del></del>	<del>v) -&gt;                                   </del>	<u> </u>	<u></u>
तथा	ग्रा रग सीमा चिन्हों	को संनि	९ता र्मित क	रक्षारा, नाय रने के लिए	१५५ गए ।ववर अनुरोध करता	गों के अनुसार भूि हॅ ∕ करते हैं	म का सार	भाकन
	ावेदक का विव			•	<b>.</b>			
₹4.		<del></del>	<u> </u>	T				
्रतः कृगांक	नाम तथा पता	पिता / प संरक्षक	ात / का	मोबाइल नम्बर	अनुसूचित जनजाति /	आधार नं./ वैकल्पिक	अभ्युक्ति	
		नाम	. ,		अनुसूचित	पहचान		ļ
					जाति / अन्य			}
(1)	(2)	(3)	)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.								
2.	-							$\dashv$
3.								
2. र्स	। ोमांकित की ज	ाने वाली	भिग	का विवरण			<u> </u>	
	2. सीमांकित की जाने वाली भूगि का विवरण							
ग्राम वस्त	ग्राम / नगरीय क्षेत्रपटवारी हल्का /सेक्टर नम्बरराजस्व निरीक्षक							
वृत्ततहसीलजिलाजिला								
सरल	सर्वेक्षण			ल (हेक्टेयर	धारक का	3	सर्वेक्षण	
कमांक	संख्यांक / ब्ला		/ वर्ग	मीटर में)	नाम	संख्यांक / ब्लाक		
-	संख्यांक / भू- संख्यांक	खण्ड				संख्यांक / भू-खण् संख्यांक का विवर	ड	
(1)							ا	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		

1.		
2.		
3.		

(3) लगी हुई भूमि के धारक का विवरण

स.	सर्वेक्षण	धारक का	पिता / पति / संरक्षक	पूर्ण पता	मीबाइल फोन
क.	संख्यांक / ब्लाक	नाम	का नाम		नम्बर
	संख्यांक / भू—खण्ड				
	संख्यांक			,	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.			·		
	No. 1				
3.					

# 4. भुगतान की गई फीस के ब्यौरे

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	पावती के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

# घोषणा

मै / हम पुत्र / पुत्री / पति पर	ता (पूर्ण पता मोबाइल नम्बर सहित)
एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ	ूं/ हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई
जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है	तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात
गलत नहीं की गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं	कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई
जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरूद्ध	विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
तारीख	हस्ताक्षर
स्थान	नाम
	आवेदक

### आवश्यक संलग्न :

- 1. खसरे की प्रति
- 2. सीमांकित किए जाने वाले सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लाक संख्यांक /भू—खण्ड संख्यांक व नक्शें की प्रति जिसमें लगे हुये सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लाक संख्यांक /भू—खण्ड संख्यांव सम्मिलित है
- 3. फीस पावती की प्रति

# प्ररूप—दो (नियम 5 देखिये) राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक की सीमांकन रिपोर्ट

			राजस्व प्रकरण क्रमांक			
		सीलदार/अपर तहसीलदार, मध्यप्रदेश	/ नायब तहसीलदारतहसीलतहसील			
सर्वेक्ष	आपके 1 नम्बर, ण संख्य	/ सेक्टर नम्बर	.के अनुपालन में भूमिस्वामीपटवारी ग्राम/नगरीय क्षेत्रमें अवस्थित एड संख्यांक के सीमांकन की रिपोर्ट पटवारी ने			
1.	1. सीमांकन के कियान्वयन की तारीख					
2.	2. सीमांकन शुरू होने का समयसीमांकन समाप्त होने का समय					
3.	3. हितबद्ध पक्षकारों को दिये गए सीमांकन के नोटिस का विवरण					
	स.क्रं.	नाम	नोटिस की तामीली का प्रकार तथा तारीख			
	(1)	(2)	(3)			
	1.					
	2.					
	3.					
4.	4. पक्षकारों का विवरण जिन्हें नोटिस तामील नहीं हो सका					
ļ	स.क्रं.	नाम	नोटिस की तामील न होने के कारण			

(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

5. सीमांकन के दौरान वर्तमान अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम

स.क्रं.	नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

- 6. संनिर्मित सीमा चिन्हों का क्रमांक .....
- 7. भूमि या उसके भाग पर भूमिस्वामी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण (रिपोर्ट के साथ नक्शें में लाल स्याही से चिन्हित किया जाए)

स.क्रं.	नाम	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में / वर्गमीटर में)	ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			- 1
2.			
3.			

8. सीमांकन के दौरान उठाई गई आपित्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय

₹	ा.क्रं.	आपत्तिकर्ता का नाम	संक्षिप्त में आपत्तियां	आपत्तियों पर
		·		विनिश्चय
Ĺ				

(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

9. 'पंचनामा' में हस्ताक्षर करने से इन्कार करने वाले व्यक्तियों का विवरण

स.क्रं.	नाम	इन्कार करने का कारण
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

10. यदि सीमांकन नहीं किया जा सका हो, तो कारण	ग अभिलिखित किये जाएं–
11. राजस्व निरीक्षक / नगर सर्वेक्षक की टिप्पणियां	
तारीख	हस्ताक्षर
स्थान	नाम
	राजस्व निरीक्षक / नगर सर्वेक्षक

# संलग्न :

- 1. हितबद्ध पक्षकारों पर तामील किए गये नोटिस की प्रतियां
- 2. बिना तामील हुये नोटिस मूल में ( यदि कोई हों)
- 3. पंचनामा
- 4. क्षेत्र पुरितका
- 5. नक्शा
- 6. .....

# प्ररूप—तीन (नियम 6 देखिये) सीमांकन दल की रिपोर्ट

			राजस्व प्रकरण क्रमांक
न्याय मध्यप्र		ाखण्ड अधिकारी,उपखण्ड	जिलाजिला
	तारी	खरीमांकन रिपोर्ट	
सर्वेक्ष	ा नम्बर ण संख्य	/ सेक्टर नम्बर	के अनुपालन में भूमिस्वामीमटवारी ग्राम/नगरीय क्षेत्रमें अवस्थित एड संख्यांक के सीमांकन की रिपोर्ट पटवारी ने
1.	सीमांव	न के कियान्वयन की तारीर	<u>ब्र</u>
2.	सीमाव	ञ्न शुरू होने का समय	सीमांकन समाप्त होने का समय
3.	सीमांक	जन के नोटिस का विवरण हि	तबद्ध पक्षकारों को दिये
	स.क्रं.	नाम	नोटिस की तामीली का प्रकार तथा तारीख
	(1)	(2)	(3)
	1.		
	2.		
	3.		
4.	पक्षकार	ों का विवरण जिन्हें नोटिस	तामील नहीं हो सका
	स.क्रं.	नाम	नोटिस की तामील न होने के कारण
	(1)	(2)	(3)
	1.		
	2		

2	<u> </u>	
J.	<b>i</b> • !	l l
		l l

5. सीमांकन के दौरान वर्तमान अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम

स.क्रं.	नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

- 6. संनिर्मित सीमा चिन्हों का क्रमांक .....
- 7. भूमि या उसके भाग पर भूमिस्वामी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण (रिपोर्ट के साथ नक्शें में लाल स्याही से चिन्हित किया जाए)

स.क्रं.	नाम	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में / वर्गमीटर में)	ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			·

8. सीमांकन के दौरान उठाई गई आपित्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय

स.क्रं.	आपत्तिकर्ता का नाम	सक्षिप्त में आपत्तियां	आपत्तियों पर विनिश्चय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		·	
2.			
3.			

'पंचनामा' में हस्ताक्षर करने से इन्कार करने वाले व्यक्तियों का विवरण 9.

स.कं.	नाम	इन्कार करने का कारण
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

10.	यदि सीमांकन नहीं किया जा सका हो, तो	कारण अभिलिखित किये जाएं–
11.	(तारीख)	सीमांकन से भिन्नता
12.	दल प्रमुख की टिप्पणियां	
		हस्ताक्षर नाम दल प्रमुख तथा दल के अन्य सदस्य
संलग्न 1	: हितबद्ध पक्षकारों पर तामील किए गये नोवि	

- 2. बिना तामील हुये नोटिस मूल में (यदि कोई हों)
- 3. पंचनामा
- 4. क्षेत्र पुस्तिका
- 5. नक्शा
- 6. .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव. भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ. 2-13/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-13/2018/सात/शा.6 दिनांक 20 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हिर रंजन राव,** प्रमुख सचिव.

Bhopal, dated 20th September, 2018

#### No. F.- 2-13/2018/VII/Se.6

The following draft of rules of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasava Sanhita (Seemankan) Niyam, 2018, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (lxv-a) of sub-section (2) of section 258 read with section 129 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) and in supersession of this Department's notification number 187-6477-VII-N-(Rules) dated 6<sup>th</sup> January, 1960, published in the Madhya Pradesh Gazette dated 22<sup>nd</sup> January, 1960, is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh, Bhawan, Mantralaya, Bhopal.

#### DRAFT OF RULES

#### 1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajasava Sanhita (Seemankan) Niyam, 2018.
- (2) They shall come into force from the date publication in the Madhya Pradesh Gazette.

#### 2. Definitions.-

- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Code" means the Madhya Pradesh Lund Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959);
  - (b) "Form" means forms appended to these rules;
  - (c) "Schedule" means schedules appended to these rules;
  - (d) "Section" means section of the Code;
  - (e) "Team leader" means the person heading the team constituted under rule 8.

- (2) The words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as assigned to them in the Code.
- The application for demarcation and construction of the boundary marks shall be made in Form I.
- 4. The applicant shall pay such fee for demarcation and construction of boundary marks as may be decided by the Collector from time to time, with the approval of the Commissioner Land Records:

Provided that different fees may be fixed for different districts depending on the charges required to be paid to the agencies authorised to render assistance in carrying out demarcation and construction of boundary marks in the different districts under sub-rule (1) of rule 7:

Provided further that till such agencies are authorised under sub-rule (1) of rule7, the applicant shall pay such a fee as was fixed immediately prior to the commencement of these rules.

- 5. The demarcation report submitted to the Tahsildar under sub-section (2) of section 129 shall be in Form II.
- 6. The demarcation report submitted to the Sub-Divisional Officer under sub-section (7) of section 129 shall be in Form III.
- 7. (1) The Collector, under the control of Commissioner Land Records, may authorize one or more agency for the district to render assistance in carrying out demarcation and construction of boundary marks under section 129.
  - (2) The Tahsildar may, in accordance with the directions issued by the Collector, from time to time, engage any one of the agencies authorised under sub-rule (1) to assist Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak in carrying out demarcation and construction of boundary marks under sub-section (3) of Section 129.

- (3) The Sub-Divisional Officer may, in accordance with the directions issued by the Collector from time to time, engage any one of the agency authorised under subrule (1) to carry out demarcation and construction of boundary marks under subsection (6) of section 129.
- 8. (1) The team deputed by the Sub-Divisional Officer under sub-section (6) of section 129 shall consist of following persons
  - (a) a Superintendent of Land Records or Assistant Superintendent of Land Records or Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak as Team Leader; and
  - (b) another Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak as Member.
  - (2) The Sub-Divisional Officer may, if he thinks fit, add one or more persons having expertise in land demarcation in the team constituted under sub-rule (1).
- 9. The dimensions and specifications of boundary marks constructed under Section 129 shall be as per Schedule-I:

Provided that till the authorization of the agencies under sub-rule (1) of rule 7, the dimensions and specifications of boundary marks shall be the same as specified immediately prior to the commencement of these rules.

10. The Commissioner, Land Records may, from time to time issue technical instructions for carrying out demarcation and construction of boundary marks under section 129.

# SCHEDULE

[see rule 9]
Specifications of boundary marks to be constructed during demarcation under section 129

S.No	Type of Boundary Mark	Specifications
1.	Property Pin – Type 1 A	<ol> <li>Mild Steel bar with a coating of galvanized steel or two coats of bright yellow colour paint applied after a layer of primer</li> <li>Diameter - 2.5 cm</li> <li>Length - 90 cm</li> <li>Top end -         <ul> <li>(a) Flattened to a diameter of 5 cm at the top and tapers to 2.5 cm at the bottom of the head</li> <li>(b) Following text engraved on the upper surface "Government of Madhya Pradesh, Property Pin-Type 1,Do not disturb or destroy"</li> </ul> </li> </ol>
		<ul> <li>(5) Bottom end of the pin tapers to a sharp point</li> <li>(6) The pin shall be inserted vertically into the ground along the border of the survey number, block number or plot number being demarcated, as the case may be, leaving the top 10 cm of the pin visible above the ground.</li> <li>(7) The Bhumiswami may use his own material and labour to fix</li> </ul>
	,	the pin to the ground by use of concrete mixture or other suitable material.
2.	Property Pin – Type I B	<ol> <li>Mild Steel bar with a coating of galvanized steel or two coats of bright yellow colour paint applied after a layer of primer</li> <li>Diameter - 1.5 cm</li> <li>Length - 90 cm</li> <li>Top end -         <ul> <li>(a) Flattened to a diameter of 5 cm at the top and tapers to</li> </ul> </li> </ol>
		2.5 cm at the bottom of the head (b) Following text engraved on the upper surface – " Government of Madhya Pradesh, Property Pin-Type 1, Do not disturb or destroy"
		<ul> <li>(5) Bottom end of the pin tapers to a sharp point</li> <li>(6) The pin shall be inserted vertically into the ground along the border of the survey number, block number or plot number being demarcated, as the case may be, leaving the top 10 cm of the pin visible above the ground.</li> </ul>
		(7) The Bhumiswami may use his own material and labour to fix the pin to the ground by use of concrete mixture or other suitable material.
3.	Property Pillar Type - 2	<ul> <li>(1) RCC pillar or monolith stone painted bright yellow in colour.</li> <li>(2) 60 cm x 15 cm x 15 cm</li> </ul>

		(3) Fixed to the ground using at least 15cms of PCC cement block with 20 cm above the ground
4.	Property Pin – Type 3	<ol> <li>Mild Steel bar with a coating of galvanized steel or two coats of bright yellow colour paint applied after a layer of primer</li> <li>Diameter - 1.5 cm</li> <li>Length - 60 cm</li> <li>Top end -         <ul> <li>(a) Flattened to a diameter of 4 cm at the top and tapers to 2.5 cm at the bottom of the head</li> <li>(b) Following text engraved on the upper surface "Government of Madhya Pradesh, Property Pin-Type 2, Do not disturb or destroy"</li> </ul> </li> <li>Bottom end of the pin tapers to a sharp point</li> <li>The pin shall be inserted vertically into the ground along the border of the survey number, block number or plot number being demarcated, as the case may be, leaving the top 10 cm of the pin visible above the ground.</li> <li>The Bhumiswami may use his own material and labour to fix the pin to the ground by use of concrete mixture or other suitable material.</li> </ol>
5.	Property Pin cap  - Type 1	<ol> <li>PCC block or monolith stone block</li> <li>Dimensions - 15 cm x 15 cm x 20 cm</li> <li>Cylindrical opening in the centre running between two opposite faces of the cap of uniform diameter of 3 cm with the cylindrical openings at 90 degrees to the face through which they open.</li> <li>Top face of the cylindrical opening having a slight groove for resting of the head of the property pin</li> <li>The cap shall be placed on the ground at a point where a Property Pin Type - 1 A is to be established and the pin shall be inserted into the ground through the cylindrical opening of the cap up to the surface of the property cap.</li> <li>It shall not be mandatory for the use of the property pin cap.</li> </ol>
6.	Property Pin cap  - Type 2	<ol> <li>PCC block or monolith stone block</li> <li>Dimensions - 15 cm x 15 cm x 20 cm</li> <li>Cylindrical opening in the centre running between two opposite faces along the length of the cap of uniform diameter of 2 cm with the cylindrical openings at 90 degrees to the face.</li> </ol>

(4)	Top face of the cylindrical opening having a slight groove for resting of the head of the property pin
(5)	The cap shall be placed on the ground at a point where Property Pin Type – 1 B or Property Pin –Type 3 is to be
	established and the pin shall be inserted into the ground through the cylindrical opening of the cap up to the surface of the property cap.
(6)	It shall not be mandatory for the use of the property pin cap.

#### Notes:

1. During demarcation, property pin shall be placed as boundary mark at such intervals as provided in the rules.

2. Property Type 1 or Type 2 pin shall be used at the corners of a survey number, block number or plot number being demarcated. They shall be placed at the four corners of the plot or at least at four points of the plot being demarcated.

3. Property Type 1, Type 2 or Type 3 pin shall be used in all other intermediary points of the border of the survey number where boundary marks are required to be established under these rules, block number or plot number being demarcated.

4. The applicant Bhumiswami shall decide the type of pins to be used Bhumiswami wherever more than one type has been prescribed for a particular purpose.

5. Where the fence or walls are being constructed the portion of the property pins above the ground may be increased and the pin made a part of the wall or fence.

6. Property pin caps may be used in the construction of the boundary marks on the application of the Bhumiswami for better visibility of the boundary marks constructed during the demarcation exercise.

7. The Bhumiswamis on the border of whose land the boundary marks have been created shall be responsible for the maintenance and safety of the boundary marks constructed.

8. Where a tahsildar receives knowledge from the Bhumiswami or any person that any person has removed or damaged or changed the location of a boundary mark without proper authorisation The Tahsildar may after an enquiry, as he may deem fit impose a penalty of Rs 500 per boundary mark thus removed or damaged or for which location has been changed. The tahsidar shall also cause the boundary mark to be established again and recover the cost, over and above the penalty imposed, from the person so causing the damage.

9. The Commissioner, Land Records may issue directions the intervals for certain situations.

# FORM-I [see rule 3]

# APPLICATION FOR DEMARCATION AND CONSTRUCTION OF BOUNDARY MARKS

10,		itional Tahsildar/Naib Tahsildar				
		M.P.				
I/we bound	ary ınarks of lan	, hereby, request for ds as per the particulars given below.	or demarcation ow:	and	construction	of the

#### 1. Particulars of the applicant-

S. No	Name and Address	Name of Father/ Husband/ Guardian	Mobile/ Phone number	Scheduled Tribe/Scheduled Caste/ Other	Aadhar No/ Alternate ID	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.			· ·		·	
2.						
3.						

DistrictTahsil		Tahsil	Revenue Inspector Circle			
Patwar	i Halka/Sector N	oV	Village/Urban Area			
S.No.	Survey No./Block No./Plot No.	Area (in Hect./Sq. mtr.)	Name of the holder	Details of adjoining Survey No./Block No./Pl No.		
			7.45	(5)		

# 

# 3. Particulars of holders of adjoining lands:-

2. Particulars of land to be demarcated:-

S. No	Survey No./Block No./Plot No.	Name of holder	Name of Father/ Husband /Guardian	Full address	Mobile/ Phone number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					

#### 4. Details of fee deposited:-

(in Rupees)

		(-22 200 000)
Amount in figures	Amount in words	Details of receipt
(1)	(2)	(3)

#### **Declaration**

	of/Daughter of/Husband of
declares that the information given by me/us	is true and correct to the best of my/our knowledges. I/we also understand that in case of incorrect
Date	
Place	Signature
•	Name
	Applicant(s)

### Mandatory enclosure

- 1. Copy of Khasra
- 2. Copy of Map of Survey No./Block No./Plot No. to be demarcated including adjoining Survey No./Block No./Plot No.
- 3. Copy of receipt of fee.

## FORM-II [see rule 5]

		Revenue Case No
In the		onal Tahsildar/Naib Tahsildar DistrictM.P
Demarc	ation Report dated	
No./Block No. No./Sector No. submitted the fo	/Plot Nobelonging to to belowing report, namely:-	edreport of the demarcation of Survey d in village/urban areaPatwari halka he BhumiswamiPatwari is
2. Start time of o	demarcation	End time of demarcation
2. Start time of o	demarcationf notice of demarcation give	End time of demarcation
2. Start time of c  3. Particulars o  S.No	demarcationf notice of demarcation given	en to interested parties-:-  Date and mode of service of notice
2. Start time of o	demarcationf notice of demarcation give	End time of demarcation
2. Start time of c  3. Particulars o  S.No  (1)  1.	demarcationf notice of demarcation given	en to interested parties-:-  Date and mode of service of notice
2. Start time of c  3. Particulars o  S.No  (1)  1.  2.	demarcationf notice of demarcation given	en to interested parties-:-  Date and mode of service of notice
2. Start time of c  3. Particulars o  S.No  (1)  1.  2.  3.	f notice of demarcation given Name (2)	en to interested parties-:-  Date and mode of service of notice  (3)
2. Start time of c  3. Particulars o  S.No  (1)  1.  2.  3.	demarcationf notice of demarcation given	en to interested parties-:-  Date and mode of service of notice  (3)
2. Start time of or S.No  (1)  1.  2.  3.  4. Particulars or S.No	f notice of demarcation given Name (2)  f parties whom notice could Name	en to interested parties-:-  Date and mode of service of notice  (3)  I not be served:-
2. Start time of constant of the state of th	f notice of demarcation given Name (2)  f parties whom notice could	en to interested parties-:-  Date and mode of service of notice  (3)  I not be served:-  Reasons for non-service of notices
2. Start time of c  3. Particulars o  S.No  (1)  1.  2.  3.  4. Particulars o  S.No  (1)	f notice of demarcation given Name (2)  f parties whom notice could Name	en to interested parties-:-  Date and mode of service of notice  (3)  I not be served:-  Reasons for non-service of notices

5	Names	f officials and	nartice nr	ecent during	the demarcation:-
٦.	INAMPS OF	เ กมาเคามเร มกก	narnes ni	eseni anriny	ine demarcation

S.No	Name	Designation
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

marks constructed

7. Particulars of possession of any person other than Bhumiswami over the land or part thereof (to be marked in red in the map to be attached with the report):-

S:No	Name	Area (in hect./sq.mtr.)	Details
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

8. Particulars of objections raised during demarcation and decisions thereon:-

S.No	Name of objector	Objection in brief	Decision on objections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

9. Particulars of persons refusing to sign the 'Panchanama'-:-

S.No Name		S.No Name Reasons for refusal		
(1)	(2)	(3)		
1.				
2.				

10. If demarcation could not be done, reasons to be recorded:							
	nspector/Nagar Sarvekshak:						
Date	Signature						
Place	Name						
	Revenue Inspector/Nagar Sarvekshak						

#### Enclosures-

- 1. Copies of notices served on interested parties
- 2. Unserved notices in original (if any)
- 3. Panchanama
- 4. Field Book
- 5. Map
- 6. .....

3.

# FORM-III [see rule 6]

#### REPORT OF DEMARCATION TEAM

	REPORT OF D	DEMIARCATION LEAVI
		Revenue Case No
In		onal Officer, Sub-Division
Demarca	tion Report dated	
No./Block No./I No./Sector No	Plot Nosituate	edreport of the demarcation of Survey d in village/urban areaPatwari halka he BhumiswamiPatwari has
1. Date of carryin	g out the demarcation	
2. Start time of de	emarcation	End time of demarcation
3. Particulars of	notice of demarcation giv	ven to interested parties:-
S.No	Name	Date and mode of service of notice
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4. Particulars of	parties whom notice coul	d not be served:-
S.No	Name	Reasons for non-service of notices
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
5. Names of offic	ials and parties present d	uring the demarcation:-
S.No	Name	Designation
(1)	(2)	(3)
1.		

,	
΄,	6. Number of boundary marks constructed.

7. Particulars of possession, of any person other than Bhumiswami over the land or part thereof (to be marked in red in the map to be attached with the report):-

S.No	Name	Area (in hect./sq.mtr.)	Details
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

8. Particulars of objections raised during demarcation and decisions thereon:-

S.No	Name of objector	Objections in brief	Decisions on objections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

9. Particulars of persons refusing to sign the 'Panchanama':-

S.No	Name	Reasons for refusal
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

10. If demarcation could not be done	, reasons to be recorded:
on(date)	narcation done by the Revenue Inspector/Nagar Sarvekshak
12. Comments of Team Leader :-	
Date	Signature
Place	Names  Team Leader and other Members of the Team
Enclosures-	
1. Copies of notices served on interes	ted parties
2. Un-served notices in original (if an	ly)
3. Panchanama	
4. Field Book	
5. Map	
K	

# क्रमांक एफ. 2-14/2018/सात/शा.6

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (कृमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (पैंसठ—क) के साथ पित धारा 109 तथा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना कृमांक 2498—सात —एन—एक दिनांक 10 जून, 1965 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 2 जुलाई, 1965 को प्रकाशित की गई थी को अतिष्ठित करते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से पद्रह दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

किसी भी आपिता या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

#### प्रारूप नियम

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता ( भू-अभिलेख में नामांतरण) नियम, 2018

- (1) इन नियमों का संक्षित नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिता (भू-अभिलेखों में नामातरण) नियम, 2018 है।
  - (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगीं।
- 2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) 'संहिता' से अभिप्रेत हैं, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता. 1959 (कमांक 20 सन् 1959);

- (ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है, इन नियमों से सलंग्न प्ररूप।
- (ग) 'धारा'' से अभिप्रेत है संहिता की धारा।
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, तथा संहिता में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो संहिता में उनके लिए कमशः समनुदेशित हैं।

#### भाग - क

#### अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट तथा फीस का भुगतान

- 3. (1) धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भूमि में अधिकार या हित अर्जित करने की रिपोर्ट.—
  - (क) भूमिस्वामी अधिकार या हित के अर्जन की दराा में, प्ररूप-एक में,
  - (ख) पटट्राधृति अधिकार या हित के अर्जन की दशा में, प्ररूप-दौ में;
  - (ग) अवयस्क भूमिस्वामी / पट्टेदार की दशा में, व्यस्क होने पर प्ररूप—तीन में:
  - (घ) खण्ड़ (क) से (ग) से भिन्न किसी अधिकार या हित के अर्जन की दशा में, प्ररूप—चार में:
  - (ड़) कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि की दशा में, नामांतरण तथा विभाजन के लिए समान कार्यवाही के लिए आवेदन की दशा में, प्ररूप—पांच, में की जाएगी।
  - (2) उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट धारा 109 की (1) उपधारा के अधीन स्पष्टीकरण तीन में विनिर्दिष्ट तरीकों में से किसी एक तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक रिपोटिंग सिस्टम से की जाएगी, जब कि ऐसासिस्टम प्रस्तुत किया गया हो।
  - (3) जहां भूमि में ऐसा अधिकार या हित किसी सर्वेक्षण संख्यांक या ब्लाक संख्यांक या भू—खण्ड संख्यांक के भाग पर अर्जित है वहां नामांतरण पूर्व के स्केच राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किए गए निदेशों के अनुसार तैयार किये जाएंगे तथा उप नियम (1) में रिपोंट के साथ सलंग्न की जाएंगे।
  - (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाला या हितबद्ध पक्षकार भू—अभिलेखों में अधिकार के नामांतरण के लिए धारा 258 के अधीन विहित दरों पर फीस का भुगतान करेगा

परन्तु धारा 109 या 110 या इन नियमों के अधीन किसी पक्षकार से संदत्त की जाने के लिए अपेक्षित कोई फीस या शास्ति संदत्त नहीं होती है तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी।

- (5) उपनियम (1) में तैयार की गई रिपोर्ट की लिखित अभिस्वीकृति दी जाएगी।
- 4. दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दस दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किए गए निदेशों के अनुसार तैयार किए जाने वाले नामांतरण पूर्व के स्केच के साथ धारा 109 की उपधारा (2) के अधीन प्रज्ञापना प्ररूप—छह में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तहसीलदार को भेजी जाएगी।रजिस्ट्रीकरण अधिकारीभूमि में हक या अधिकार अर्जन करने वाले व्यक्ति से नियम 3 के उपनियम (4) अधीन विहित फीस जमा करवाएगा तथा प्ररूप—छह में उसके व्यौरे देगा।प्ररूप—छह में की गई रिपोर्ट की प्रति भी विलेख के पक्षकारों को दी जाएगी।
- 5. अधिकारोंया हित के अर्जन की प्रविष्टि के लिए धारा 110 की उपधारा (1) के अधीन संधारित किया जाने वाला रजिस्ट्रर प्ररूप—सात में होगा।
- 6. अधिकार अर्जन संबंधी प्रज्ञापना धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप—आउ में तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी।

#### भाग-ख

# भू-अभिलेखों के नामांतरण के मामलों का रजिस्ट्रीकरण

- 7. तहसीलदार, धारा 110 की उपधारा (3) के खण्ड (ख)के अधीन हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति तथा प्राधिकारी सम्मिलित हैं,—
  - (क) उस दशा में, जब भूमि पट्टे पर या शासन द्वारा अनुज्ञप्ति पर दी गई है, संबंधित विभाग के जिला प्रमुख को या जहां कोई जिला प्रमुख नहीं है, विभाग के सचिव को;
  - (ख) जस दशा में, जहां भूमि पट्टे पर या किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुज्ञप्ति पर दी गई है— संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को:
  - (ग) उस दशा में, जहां भूमिराज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी प्राधिकारी द्वारा पट्टे पर या अनुज्ञप्ति पर दी गई है ऐसे प्राधिकारी के

जिलाप्रमुख को या जहां कोई जिला प्रमुख नहीं है वहां ऐसे प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को,

नोटिस जारी करेगा।

- 8. (1) तहसीलदार धारा 110 की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात् पारित किए गये आदेश तथा अद्यतन भू-अभिलेख की प्रमाणित प्रति, धारा 110 की उपधारा (5) के अधीन यथा उपबंधित निःशुल्क प्रदाय करने हेतु तारीख नियत करेगा जो तीस दिन से अधिक नहीं होगी।
  - (2) इस प्रकार निर्धारित तारीख को आदेश तथा अद्यतन खसर। की प्रमाणित प्रति तथा नक्शा दोनों पक्षकारों को परिदत्त की जाएगी। तहसीलदार, भू अधिकार पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि करेगा या, यदि अपेक्षित हो, पक्षकारों को नवीन भू—अधिकार पुस्तिका जारी करेगा।
  - (3) यदि कोई पक्षकार ऐसी बांछा करे या यदि कोई पक्षकार उपनियम (2) के अधीन नियत तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो आदेश तथा अद्यतन खसरा और नक्शें की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा था ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि राज्य सरकार निदेशित करे, पक्षकारों को भेजी जाएगी।
- 9. धारा 110 की उपधारा (7) के अधीन लिम्बत मामलों की तिमाही रिपोर्ट आगामी तिमाही के दसवें दिन को प्ररूप —नौ में कलेक्टर को भेजी जाएगी। राज्य सरकार मॉनीटिरिंग हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्थापित करेगी जिसमें ऐसी रिपोर्ट स्वचलित जनरेट हो जाएगी।

#### भाग-ग

# कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि की दशा में नामांतरण तथा विभाजन के लिए समान कार्यवाहियां

- 10. धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूगि में अधिकार या हित अर्जित करने वाला पक्षकार, धारा 110 के अधीन भू—अभिलेखों में अधिकार या हित का नामांतरण तथा धारा 178 के अधीन खाते का विभाजन दोनों को करने के लिए एक समान कार्यवाही कर सकेगा।
- 11. यदि ऐसा आवेदन नियम 10 के अधीन किया जाता है तो तहसीलदार, धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में अधिकारों के नामांतरण के लिए तथा धारा 178 के अधीन खातों के विभाजन के लिए एक समान मामला दर्ज करेगा और सुनवाई

प्रति,

की कार्यवाही करेगा तथा समुचित धाराओं के उपबंधों के अनुसार एक समान आदेश पारित करेगा।

# प्ररूप-एक (नियम-3 देखिए) भू-अभिलेख में भूमिस्वामी अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार .....

	(16 till	· i							
	जिला	म.प्र.							
				भा	गएक				
अ सं	मैं / हम(नाम)एतदृद्वारा, भूमि में भूमिस्वामी अधिकारों या डित के अर्जन हेतु आवेदन कर रहा हूँ / रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959)की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में नामांतरण करने के लिए अनुरोध करता हूँ / करते हैं।								
1.	अधिका	र या हित अर्जित	करने	वाले व्य	ाक्तियों का	विवरण :			
अनु. क्रमांक	नाम तथा पता	पिता / पति / संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति / अन्य	आधार नं. /वैकल्पिक पहचान	अभ्युक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.			,						
2.									
3.									

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अधिकार / हित अंतरित किए हैं या वे व्यक्ति जिन्हें अन्य व्यक्तियों के उनके हित सौंपे हैं जिनमें सम्मिलित हैं किसी अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भूमि पर उनके दावों का त्यजन करते हुए व्यक्तियों के विवरण

अनु. कमांक	नाम तथा पता	पिता / पति / संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति / अन्य	आधार नं. / वैकल्पिक पहचान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

# 3. भूमि तथा अधिकार / हितों का विवरण

		<b>_</b>	T		T 6		Δ
अनु.	पटवारी हल्का	ग्राम	सर्वेक्षण	क्षेत्रफल	भूमि का		अधिकार / हित
क.	क्रमांक / सेक्टर	/ नगरीय	संख्यांक /	हेक्टर / वर्ग	क्षेत्रफल	अर्जन करने	अर्जन करने
	क्रमांक	क्षेत्र का	ब्लॉक	मीटर में	जिस पर	वाले व्यक्तियों	वाले व्यक्तियों
		नाम	संख्यांक /		भूमिस्वामी	के नाम	का
			ਮ੍ਰ–खण <u>्</u> ड		अधिकार		क्षेत्रफल / उनके
			संख्यांक	:	∕ हित		हिस्से
					अर्जित किए		
			,		गये है		ļ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							

# 4. भूमिस्वामी अधिकारों / हितों के अर्जन का प्रकार-

स.	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां	कृपया टिक(√)
त. क.	ЯЧИК	संलग्न की जायें)	करें, यदि सलंग्न
47.		संसम्भ का जाव)	हो
			61
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विरासत द्वारा	1. मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या	
<u> </u>		भूमिरवामी की मृत्यु का समुचित सबूत	
		2. पारिवारिक वंश / उत्तराधिकारियों की	
		सूची तथा उनके हिस्से	
2.	क्रेता द्वारा	रजिष्ट्रीकृत विकय विलेख	
		वसीयत	
3	वसीयत द्वारा	वसायत	
4	दान द्वारा	रजिष्ट्रीकृत दान विलेख	
5	न्यायालय की डिकी	न्यायालय की डिकी	
	द्वारा		
6	भूमि अर्जन द्वारा	पारित किया गया अवार्ड	
7	भूमि आवंटन द्वारा	भूमि आवंटन का आदेश	
8	पटटाधित को फी होल्ड	फी होल्ड अधिकारों को सौंपने के लिए	
	अधिकार में परिवर्तन	अवार्ड	
	द्वारा		
9	भूमि के विनिमय द्वारा	भूमि विनिमय का रजिस्ट्रीकृत विलेख	
10	भूमि में दावों के त्यजन	निर्मक्त विलेख	
-	द्वारा	3	
11		समनुदेशित किए गए / निर्वापित	
ļ		/ तपांतरित / अधिकार सृजन किए गए	·
	नहीं है )	दस्तावेजों की प्रति/रजिस्ट्रीकृत विलेख	
		!	

5. फीस के ब्यौरे

	<b>V</b> , 1-1 (1 41)				
ी फीर	फीस अंकों में फीस शब्दों में		जमा की गई फीस की पावती के ब्यौरे		
"''		7100			
	(1)	(2)	(3)		
	` '				
		•			
	ĺ				

घोषणा
1. मैं / हमपता (पूर्ण पता)पता (पूर्ण पता)
एतद्द्वारा घोषणा
करता / करती हूं / हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे / हमारे ज्ञान और
विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात गलत नहीं की गई
है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी
असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रबाई की जा सकेगी।
2. मैं / हम अनुरोध करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में मेरे / हमारे द्वारा दी गई
जानकारी के अनुसार भू—अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।
तारीख हस्ताक्षर

-

स्थान ..... नाम .....

#### आवश्यक संलग्नक :-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरणपूर्व का स्केच की प्रति ( जो भी लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते का सबूत की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान का राबूत की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का सबूत तथा उसकी पहचान स्थापित करने के सबूत के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वाराहस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-
  - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया सी. आइ.एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
  - (2)ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट केपेरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- (8) फीस पावती की प्रति

- टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की
  - (2) पहचान का सबूत— आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति, किसी राष्ट्रीकृत बैंक की पास बुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई पहचान फोटो

भाग- हो

		41	
	ঞা	भेस्वीकृति	
प्रति,		-	
श्री / श्रीमती / कु			
पुत्र / पुत्री / पत्नी			
पता	••••••		
<b>टपरोक्त भाग</b> −1	में दिए गए अधि	कार /हित के अर्जन की रिप	ोर्ट एतदुद्वारा
अभिस्वीकृति है।			•
-			
तारीखः	मुद्रा	नाम	
स्थानः	_	तहसीलदार/ अपर तहसील	दार
		नायब तहसीलदार	
		तहसील	
		जिला	

## प्ररूप-दो (नियम-3 देखिए) पट्टाधृति अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट

प्रति,				
तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार				
तहसील				
जिलाम.प्र.				
भाग-एक				
भैं / हम(नाम)				
अधिकारों या हित के अर्जन हेतु आवेदन कर रहा हूँ	/रहे हैं तथ	ा मध्यप्र	देश भू–	राजस्व
संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959)की धारा 110 के	अधीन भू-अ	भिलेख	में नामांत	रण के
लेए अनुरोध करता हूँ / करते हैं।				

1 अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरणः

अनु. क्रमांक	नाम तथा पता	पिता / पति / संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति / अन्य	आधार नं. / वैकल्पिक पहचान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.							·	

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अधिकार / हित अंतरित किए हैं या वे व्यक्ति जिन्हें अन्य व्यक्तियों के उनके हित सौंपे हैं जिनमें सम्मिलित है किसी अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भूमि पर उनके दावों का त्यजन करते हुए व्यक्तियों के विवरण

अनु. क्रमांक	नाम तथा पता	पिता / पति / संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति / अन्य	आधार नं. / वैकल्पिक पहचान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

#### 3 भूमि तथा अधिकार/हितों का विवरण

अन. क्रमांक	पटवारी हल्का क्रभांक / से क्टर क्रमांक	ग्राम / नगरी य क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू—खण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल हेक्टर / वर्ग मीटर में	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भूमिस्वामी अधिकार /हित अर्जित किए गर्ये है	अर्जन करने वाले	अधिकार / हित अर्जन करने वाले व्यक्तियों का क्षेत्रफल / उनके हिस्से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							

## 4 पट्टाधृति अधिकारों / हितों के अर्जन का प्रकार-

अन्.क्रमांक	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां	कृपया टिक(√)
		संलग्न की जायें)	करें, यदि सलंग्न
			हो
(1)	(2)	(3)	(4)
	विकास सम	्र मन अधिरवासी का मना मामालाक या	
1.	विरासत द्वारा	3. मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिस्वामी की मृत्यु का समुचित सबूत	
		4. पारिवारिक वंश / उत्तराधिकारियों की	
		सूची तथा उनके हिस्से	
2.	क्रेता द्वारा	रजिष्ट्रीकृत विकय विलेख	
3.	वसीयत द्वारा	वसीयत	
<u></u>		-Probert are Order	
4.	दान द्वारा	रजिष्ट्रीकृत दान विलेख	
5.	न्यायालय की डिकी	न्यायालय की डिकी	
	द्वारा		
6.	भूमि आवंटन द्वारा	भूमि आवंटन का आदेश	
7.	भूमि के विनिमय द्वारा	भूमि विनिमय का रजिस्ट्रीकृत विलेख	
'	त्ता पर भागाप क्षारा	मान विकास वर्ष राजारप्रवर्धन विद्याल	
8.	भूमि में दावों के	निर्मुक्त विलेख	
	त्यजन द्वारा		, ,
	A-9 0-		
9.		समनुदेशित किए गये / निर्वापित	
		/ उपांतरित / अधिकार मृजन किए गये	
	वर्णित नहीं है ).	दस्तावेजों की प्रति/रजिस्ट्रीकृत विलेख	
1	- <del> </del>	l	ŀ

5. फीस के ब्यौरे

फीस अंकों में	फीस शब्दों में	जमा की गई फीस की पावती के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

	घोषणा
1.	मैं / हमपता (पूर्ण पता)
	मोबाइल नम्बर
	एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूं / हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी
	मेरे /हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा
	कोई भी बात गलत नहीं की गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे /
	हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे
	विरुद्ध विधिक कार्रबाई की जा सकेगी।
	में / हम अनुरोध करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में मेरे / हमारे द्वारा दी
	गई जानकारी के अनुसार भू—अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।
तार्र	ोखहस्ताक्षर
	ा
	भोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक :--

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण पूर्व का स्केच की प्रति ( जो भी लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते का सबूत की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान का सबूत की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का सबूत तथा उसकी पहचान स्थापित करने के सबूत के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-
  - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, जी.एस.टी. रिजस्ट्रेशन नग्बर, कंपनी रिजरट्रार द्वारा जारी किया गया री. आइ.एन. नम्बर, रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रिजस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
  - (2)ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पेरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज

- (8) फीस पावती की प्रति
- टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।
  - (2) पहचान का सबूत—आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति, किसी राष्ट्रीकृत बैंक की पास बुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई पहचान फोटो

भाग— दो अभिस्वीकृति

	आग	<b>स्वाकृति</b>
प्रति,		
श्री / श्रीमती / कु		
पुत्र/पुत्री/पत्नी		
पता	•••••••	
उपरोक्त भाग-1	में दिए गए अधि	कार /हित के अर्जन की रिपोर्ट एतदद्वार
अभिस्वीकृति है।		·
तारीख	मुद्रा	नाम
स्थान		तहसीलदार / अपर तहसीलदार
		नायब तहसीलदार
		तहसील
		<u> ਜ਼ਿਕਾ</u>

## प्ररूप-तीन (नियम-3 देखिए) अव्यस्यक भूमिस्वामी / व्यस्कता होने पर पट्टेदार की रिपोर्ट

प्रति,
तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील
जिलाम.प्र.
भाग- एक
मैं / हम(नाग) एतद्द्वारा, निग्नलिखित अव्यस्यक
भूमिस्वामी /पट्टेदार द्वारा व्यस्यक होने का आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं तथा मध्यप्रदेश
भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959)की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में
नामांतरण के लिए अनुरोध करता हूँ / करते हैं।

#### 1.उन व्यक्तियों का विवरण जो व्यस्यक हो गये है :--

अनु. कमांक	नाम तथा पता	पिता / पति का नाम	लिंग	जन्म तिथि	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति / अन्य	आधार नं. / वैकल्पिक पहचान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.								
3.								

## 2.भूमि का विवरण

अनु. क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	ग्राम /नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भ-ूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल हेक्टर / वर्ग मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				

3. फीस के ब्यौरे

फीस उ	ांकों में	फीस शब्दों में	जमा की गई फीस की पावती के ब्यौरे
(1	)	(2)	(3)

	घोषणा
1. मै / हम पुत्र /पुत्र	भी / पत्नीपता (पूर्ण पता)
	`
एतद्द्वारा घोषणा करता/करती	हूं / हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी
मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास	से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा
कोई भी बात गलत नहीं की ग	ई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे /
हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जा	नकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे
विरुद्ध विधिक कार्रबाई की जा र	नकेगी।
2. मैं / हम अनुरोध करता हूँ / क	रते है कि इस आवेदन में मेरे /हमारे द्वारा दी
गई जानकारी के अनुसार भू-अभिलेख	
तारीख	हस्ताक्षर
स्थान	नाम
	(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक :-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) व्यस्यकता होने वाले व्यक्तियों के पते का सबूत
- (3) व्यस्यक होने वाले व्यक्तियों की पहचान का सबूत
- (4) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति व्यस्यक होने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का सबूत तथा उसकी पहचान के सबूत के साथ व्यस्यक होने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (5) जन्म तिथि का सबूत
- (6) फीस पावती की प्रति
- टिप्पणी :-- (1) दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।
  - (2) पहचान का सबूत— आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति, किसी राष्ट्रीकृत बैंक की पास बुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई पहचान फोटो

भाग—दो अभिस्वीकृति

	-1	· ( ' 'E' ' ' '
प्रति.		•
श्री / श्रीमती / व	मु	
पुत्र / पुत्री / पत	नी	
पता		
उपरोक्त पेरा–1	में दिए गए नामांतरण	की प्रज्ञापना एतद्द्वारा अभिस्वीकृति है।
		,
तारीखः	मुद्रा	नाम
स्थानः	_	तहसीलदार / अपर तहसीलदार
		नायब तहसीलदार
		તદસીલ
		जिला

#### प्ररूप-चार

#### (नियम-3 देखिए)

#### अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट

(प्ररूप-एक,प्ररूप-दो या प्ररूप-तीन में रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित मामलों से भिन्न मामलें)

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील
जिलाम.प्र.
भाग– एक
मैं / हमएतद्द्वारा, भूमि में निम्नलिखित अधिकारों या हितों के अर्जन का आवेदन कर रहा हूँ / रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959)की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में नामांतरण के लिए अनुरोध करता हूँ / करते हैं।

1. अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरण :

अनु. क्रमांक	नाम तथा पता	पिता / पति / संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुस्चित जनजाति / अन्य	आधार नं. / वैकल्पिक पहचान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अधिकार / हित अंतरित किए हैं या वे व्यक्ति जिन्हें अन्य व्यक्तियों के उनके हित सौंपे है जिनमें सम्मिलित हैं किसी अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भूमि पर उनके दावों का त्यजन करते हुए व्यक्तियों के विवरणः

अनु. क्रमांक	नाम तथा पता	पिता / पति / संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति / अन्य	आधार नं. / वैकल्पिक पहचान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.								

3. भूमि तथा अधिकार/हितों का विवरण

अनु. क्रमांक	पटवारी हल्का क्रं. ⁄सेक्टर क्रं.	ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम		क्षेत्रफल हेक्टर में / वर्गमीटर में	अधिकार /हित अर्जित किए गए	किए गए	1	अधिकार / हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का क्षेत्रफल / उनके हिस्से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	·							

## 4. अधिकारों / हितों के अर्जन का प्रकार-

अनु.	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः रात्यापित प्रतियां	कृपया टिक(√)
क्रमांक		संलग्न की जायें)	करें, यदि सलंग्न
			हो
. (1)	(2)	(3)	(4)
1	विरासत द्वारा	<ol> <li>मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिस्वामी की मृत्यु का समुचित सबूत</li> <li>पारिवारिक वंश / उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके शेयर (अंश)</li> </ol>	
2	क्रेता द्वारा	रजिष्ट्रीकृत विकय विलेख	
3	वसीयत द्वारा	वसीयत	
4	दान द्वारा	रजिष्ट्रीकृत दान विलेख	
5	न्यायालय की डिकी द्वारा	न्यायालय की डिकी	
	Later or the state of the state		
6	भूमि आवंटन द्वारा	भूमि आवंटन का आदेश	
7	भूमि में दावों के त्यजन द्वारा	निर्मुक्त विलेख	
8	द्वारा ( जो उपरोक्त	समनुदेशित किए गए / निर्वापित / उपांतरित / अधिकार सृजन किए गए दस्तादेजों की प्रति / रजिस्ट्रीकृत विलेख	

#### 5. जमा की गई फीरा के ब्यौरे

अंकों में रकम	शब्दों में रकम	जमा की गई फीस की पावती के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

#### घोषणा

1.	मै / हम पुत्र /पुत्री /पत्नी	पता (पूर्ण पता)
		मोबाइल नम्बर
	एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ हैं कि	मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी
	मेरे /हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एव	ां सही है तथा मेरे / हमारे द्वार
	कोई भी बात गलत नहीं की गई है। मैं /	हम यह भी समझते हैं कि मेरे /
	हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत	य होने की दशा में मेरे / हमारे
	विरुद्ध विधिक कार्रबाई की जा सकेगी।	
2.	मैं / हम अनुरोध करता हूं / करते हैं कि इ	स आवेदन में मेरे /हमारे द्वारा दी
	गई जानकारी के अनुसार भू-अभिलेखों में ना	मांतरण किया जाए।
तार्र	गिख	हस्ताक्षर
स्थ	न	नाम
		(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

#### आवश्यक संलग्नक :-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण पूर्व का स्केच की प्रति ( जो भी लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते का सबूत की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान का सबूत की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का सबूत तथा उसकी पहचान करने के सबूत के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-
  - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया सी. आइ. एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
  - (2)ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पेरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रति
- (8) फीस पावती की प्रति

- टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ सलग्न की जाएं।
  - (2) पहचान का सबूत—आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति, किसी राष्ट्रीकृत बैंक की पास बुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई पहचान फोटो

भाग—दो अभिस्वीकृति

		· // 21.00
प्रति,		
श्री / श्रीमती / व	मु	
पुत्र / पुत्री / पत	नी	
पता		
		गर /हित के अर्जन की रिपोर्ट एतद्द्वार
अभिस्वीकृति है।		
•		
तारीखः	मुद्रा	नाम
स्थानः		तहसीलदार / अपर तहसीलदार
		नायब तहसीलदार
		तहसील
•		जिला

#### प्ररूप-पांच

## (नियम 3 देखिए)

कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि की दशा में खाते का नामांतरण तथा विभाजन के लिए समान कार्यवाही करने हेतु आवेदन

प्रति,	प्रति,								
-	तहसीलदार /अतिरिक्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार								
	तहसील								
	जिला	म.प्र.							
		भाग-एक-	• •						
के अ (क्रमांव	र्जन का आवेदन	म)एतदृद्धाः कर रहा हूँ/रहे हैं तथ की धारा 178 के अधीन	ा मध्यप्रदे	श भू–राजस्व र	नंहिता, 1959				
1.	अधिकार या हित	अर्जित करने वाले व्यक्ति	ायों कि वि	वरण					
अनु. हमांक	नाम तथा पता	पिता / पति / संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
1.			•						
2.									
अनुसूचित जनजाति / अन्य आधार नम्बर / वैकल्पिक अभ्युक्ति पहचान									
	(7)	(8)	(8)		(9)				

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अधिकार/हित अंतरित किए हैं या उन व्यक्तियों को जिन्हें अन्य व्यक्तियों के उनके अधिकार सौंपे है जिनमें सिम्मिलित है किसी अन्य व्यक्तियों के पक्ष में उनके दावों त्यजन किया है।

अनु. क्रमांक	नाम तथा पता	पिता / पति / संरक्षक	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर
क्रमांक		का नाम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.	ſ				

अनुसूचित जनजाति / अन्य	आधार नम्बर/वैकल्पिक पहचान	अभ्युक्ति
(7)	(8)	(9)

3. भूमि का विवरण

अनु.			सर्वेक्षण / ब्लाकसंख्यांक / भू—खण्ड	क्षेत्रफल हेक्टर
क्रमांक	क्रमांक / सेक्टर	क्षेत्र का नाम	संख्यांक	में / वर्गमीटर
	क्रमांक			*1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	-			
2.				
-				

भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त /अंतरित किए गए हैं	उन व्यक्तियों के नाग जिन्हें अधिकार अर्जित हैं	अधिकार अर्जन व्यक्तियों के क्षेत्रफल/उनके हिस्से
(6)	(7)	(8)

4. भूमिस्वामी अधिकारों के अर्जन की रीति

	गूनस्पाना आधकारा क उ		
अनु.	रीति	अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित	विन्ह (√) करे
क्रमांक		प्रतियां संलग्न की जाए)	यदि सलग्न हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विरासत द्वारा	<ol> <li>मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिस्वामी की मृत्यु का समुचित सबूत</li> <li>पारिवारिक वंश / उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके हिस्से</li> </ol>	
2.	क्रय द्वारा	रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख	
3.	वसीयत द्वारा	वसीयत	
4.	दान द्वारा	रजिस्ट्रीकृत दान विलेख	
5.	न्यायालय कुर्की द्वारा	न्यायालय की कुर्की	
6	भूमि आवंदन द्वारा	अवार्ड	
7.		भूमि आवंटन का आदेश	
8.	भूमि में दावे का त्यजन द्वारा	निर्मुक्त विलेख	
9.		अधिकार सौंपे जाने/ निर्वापित करने/उपांतरण /सृजित किए जाने के दस्तावेज की प्रति/रजिस्ट्रीकृत	
			26

Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line spacing: single
Formatted Table

76

है)	विलेख	
L		

## 5. कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित खाते के विभाजन का विवरण

अनु. क्रमांक	खाता क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल हेक्टर में	भूमिस्वामी का नाम	प्रत्येक भूमिस्वागी का अंश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					

#### 6. जमा की गई फीस के ब्यौरे

रकम अंकों में	रकम शब्दों में	जमा की गई फीस की पावती के ब्यौरे

	घोषणा
1.	मै / हम(पूर्ण पता)पुत्र /पुत्री /पत्नी(पूर्ण पता)
	मोबाइल नम्बरएतद्द्वारा
	घोषणा करता / करती हूँ / हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान
	और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात गलत
	नहीं की गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की
	गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रबाई की
	जा सकेगी।

2. गैं / हम अनुरोध करता हूं / करते हैं कि भू—अभिलेखों में नामांतरण तथा कृषि के प्रयोजन के लिए खाते का विभाजन इस आवेदन में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किया जाए।

तारीख	हस्ताक्षर
स्थान	आवेदक

#### आवश्यक संलग्नक :--

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण पूर्व के स्केच की प्रति ( जो भी लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते का सबूत की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान का सबूत की प्रति
- (5) यदि आवेदक अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है तो वह आवेदक के पते का सबूत तथा उसकी पहचान सबूत के साथ अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-
  - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, जी. एस. टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, कंतनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया सी. आइ. एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एन्ड सोसाइटी लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण (पंजीयन) प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
  - (2) सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकरण का पत्र।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पेरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रति
- (8) फीस पावती की प्रति
- (9) सह–हिस्सेदारों द्वारा सहमत तथा हस्ताक्षरित भद्र बटवारा (अविवादित मामलों में) टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न करें।
  - (2) पहचान के सबूत— आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने की अनुज्ञष्ति, किसी राष्ट्रीकृत बैंक की पास बुक की स्वतः सत्यापित प्रति या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई पहचान फोटो

## भाग— दो अभिस्वीकृति

प्रति,								
श्री / श्रीग	नती / कु							
पुत्र / पुत्र	गो / पत्नी							
पता	पता							
उपरोक्तः	भाग-1-क तथा भ	गग–1–ख में दिए गए भू–अभिलख में कृषि प्रयोजन						
के लिए खाते के	विभाजन द्वारा अ	नुसूचित भूमिस्वामी अधिकार अर्जन के नामांतरण के						
लिए प्रज्ञापना एत	द्द्वारा अभिस्वीकृति	न है।						
	,							
तारीखः	मुद्रा	नाम						
स्थानः		तहसीलदार / अपर तहसीलदार						
		नायब तहसीलदार						
		तहसील						
		जिला						

#### प्ररूप–छह

## (नियम 4 देखिये)

से जिले में भूमि से संबंधित संव्यवहारों का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का विवरण						
पंजीयन	ग्राम/नगरीय क्षेत्र	पटवारी	दस्तावेजों	संव्यवहारों	संव्यवहा	
का स.	का नाम जिसमें	हल्का	का प्रकार	से संबंधित	संबंधित	

। पजायन	ग्राम/ नगराय क्षत्र	पटवारा	दस्तावजा	सव्यवहारा	सव्यवहारा स
का स.	का नाम जिसमें	हल्का	का प्रकार	से संबंधित	संबंधित
क्रं.	भूमि अवस्थित है	नम्बर /		सर्वेक्षण	क्षेत्रफल
		सेक्टर नम्बर		संख्यांक या	(हेक्टेयर
				ब्लाक	में / वर्गमीटर
				संख्यांक या	में)
				भू–खण्ड	]
		,		संख्यांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
				1	1

दस्तावेज के	उस व्यक्ति का	दस्तावेज के	भू-अभिलेख में	अभ्युक्ति
निष्पादक का	नाम,पता तथा	निष्पादन की	नामांतरण के	
नाम, पता तथा	मोबाइल फोन	तारीख	लिए भुगतान	
मोबाइल फोन	नम्बर जिसके		की गई फीस	
नम्बर	पक्ष में दस्तावेज		के ब्यौरे	
	निष्पादित किया			
	है			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-		` '		

रथान		हस्ताक्षर
तारीख	मुद्रा	उप रजिस्ट्रार

जिला	

#### प्ररूप-सात

## (नियम 5 देखिये)

## अधिकार या हित अर्जन की रिजस्ट्रार की रिपोर्ट

ग्राम / नगरीय क्षेत्र .....पटवारी हल्का नम्बर / सेक्टर नम्बर .....

तहसीलजिलाजिला						
अनु.	धारा 109 की	रिपोर्ट करने	अधिकार / हित	भूमि का विवरण		
क्रमांक	उपधारा (1) के	वाले व्यक्ति का	अर्जन करने वाले	जिस पर अधिकार		
	अधीन रिपोर्ट	नाम, पिता / पति	व्यक्ति का नाम,	/ हित अर्जित		
	की पावती की	का नाम, पता	पिता / पति / संरक्षक	/त्यजित किये गये		
	तारीख	तथा मोबाइल	का नाम, पता तथा	है		
		फोन नम्बर	मोबाइल फोन नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.						
2.						

भूमि में	प्ररूप-एक,दो, तीन,	तारीख जिस पर	अभ्युक्ति
अधिकार / हित में	चार या पांच (जो भी	तहसीलदार को	
परिवर्तन का प्रकार	हो)	प्रज्ञापना भेजी है	
(6)	(7)	(8)	(9)
	·		

## प्ररूप-आठ (नियम 6 देखिये)

#### धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन तहसीलदार को पटवारी की रिपोर्ट

प्रति,	
	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार
	तहसील
	जिलामध्यप्रदेश

विषय:— मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन प्रज्ञापना भू—अभिलेखों में नामांतरण के लिए भूमि में अधिकारों /हितों के अर्जन की प्रज्ञापना

यह सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन भूमि में अधिकारों और हितों के अर्जन से संबंधित ..... से ...... तक अवधि के दौरान निम्नलिखित रिपोर्ट मुझे की गई है

अनु.	धारा 109	रिपोर्ट करने वाले	अधिकार / हित	भूमि का विवरण जिस
क्रमांक	की उपधारा	व्यक्ति का नाम,	अर्जन करन वाले	पर अधिकार 🖊 हित
	(1) के	पिता / पति / संरक्षक	व्यक्ति का नाम,	अर्जित /त्यजित
	अधीन	का नाभ, पता तथा	पिता / पति / संरक्षक	किये गये है (तहसील,
	रिपोर्ट की	मोबाइल फोन नम्बर	का नाम, पता तथा	पटवारी हल्का
	पावती की		मोबाइल फोन नम्बर	नम्बर / नगरीय
	तारीख			क्षेत्र / ग्राम / सेक्टर
				नम्बर / सर्वेक्षण
			·	संख्यांक / भू–खण्ड
				संख्यांक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
i				

भूमि में अधिकार/हित में परिवर्तन का प्रकार	प्ररूप–एक,दो, तीन, चार या पांच (जो भी हो)	अभ्युक्ति
(6)	(7)	(9)

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गये प्ररूपों तथा संलग्नकों को इसके साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है

तारीख	नाम तथा हस्ताक्षर
स्थान	पदाभिदान
	पटवारी हल्का नम्बर तथा नाम

संलग्नकों की सूची

1.

2.

#### प्ररूप-नौ

#### ( नियम 10 देखिये)

#### मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट नामांतरण मामलों की तिमाही रिपोर्ट

..... (तारीख) को स्थिति

न्यायालय का नाम .....तहसील.....जिला

भाग	भाग—कः दो माह (अविवादित मामलें के लिए तथा छह माह (विवादित मामलें के लिए) से अधिक लम्बित नामांतरण मामलों की संक्षिप्त रिपोर्ट							
स. क्रं.	नामांतरण मामलों का प्रकार	2 माह / 6 माह से अधिक कुल लम्बित मामलें						
	7711	(जो भी लागू हो)	12 माह	3-6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1—2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	अविवादित							
2	विग्रदित							

## भाग-ख : 2 माह से अधिक लम्बित अविवादित नामांतरण के मामलों की सूची

स.क्रं.	मामला	मामला संस्थित	पक्षकारों	मामलें की	मामलें के	लम्बित
	क्रं.	होने की	के नाम	वर्तमान	लम्बित रहने	रहने का
		तारीख		रिथति	की अवधि	कारण
					(वर्ष तथा	
					माह में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.	-					

भाग-ख : 6 माह से अधिक लिम्बत अविवादित नामांतरण के मामलों की सूची

स.क्रं.	मामला क्र	मामला संस्थित होने की तारीख	पक्षकारों के नाभ	मामलें की वर्तमान स्थिति	मामलें के लम्बित रहने की अवधि (वर्ष तथा माह में)	लम्बित रहने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						

तारीख		पीटासीन अधिकारी का नाम
<b></b>		
स्थान	मुद्रा	हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 2-14/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-14/2018/सात/शा.6 दिनांक 20 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हिर रंजन राव**, प्रमुख सचिव.

#### Bhopal, dated 20th September, 2018

#### No. F.- 2-14/2018/VII/Se.6

The following draft rules of the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu-Abhilekhon Men Namantaran) Niyam, 2018, which the State Government makes to propose, in exercise of the powers conferred by clause (Ixv-a) of subsection (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) read with section 109 and section 110 of the said Code and in supersession of Part IV- mutation in Khasra along with Form- E, Form-F and Form-G of this Department's Notification Number 2498-VII-N-1dated 10<sup>th</sup> June 1965, published in the Madhya Pradesh Rajpatra, dated 2<sup>nd</sup> July, 1965, is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code for the information of all such persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh, Bhawan, Mantralaya, Bhopal.

#### DRAFT RULES

- 1. (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu-Abhilekhon Men Namantaran) Niyam, 2018.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
  - (a) 'Code' means Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959);

- (b) 'Form' means a Form appended to these rules;
- (c) "Section" means section of the code.
- (2) The words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defined in the Code, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Code.

#### Part-A

## Report of Acquisition of Rights and Payment of Fee

- 3. (1) Report of a right or interest acquired in land by a person under subsection (1) of Section 109 shall be made in,—
  - (a) Form I, in case of acquisition of Bhumiswami right or interest;
  - (b) Form II, in case of acquisition of leasehold right or interest;
  - (c) Form III, in case of a minor Bhumiswami/lessee on attaining majority;
  - (d) Form IV, in case of acquisition of any right or interest other than (a) to (c); and
  - (e) Form V, in case of application for common proceeding for mutation and partition in case of land assessed for the purpose of agriculture.
- (2) The report under sub-rule (1) may be made by any one of the means specified in the Explanation III under sub-section (1) of section 109 or by an electronic reporting system when it shall be introduced.
- (3) Where such right or interest in land is acquired on a part of a survey number or block number or plot number a pre-mutation sketch shall be prepared in accordance with the directions issued by the State Government from time to time and attached with the report in sub-rule (1).

(4) The party acquiring a right or an interest shall pay fees for the mutation of right in land records at the rates prescribed by rules made under section 258:

Provided that any fee or penalty required to be paid from a party under section 109 or 110 or these rules and if not paid shall be recoverable as arrears of land revenue.

- (5) A written acknowledgement of the report made in sub-rule (1) shall be given.
- 4. The intimation under sub-section (2) of section 109 shall be sent by the Registering Officer to the Tahsildar in Form VI along with a premutation sketch to be prepared in accordance with the directions issued by the State Government from time to time within a period of ten days of registration of a document. The Registering Officer shall cause the fee prescribed under sub-rule (4) of rule 3 deposited from the person acquiring a title or interest in land and give the details thereof in Form VI. Copy of the report made in Form VI shall also be given to the parties to the deed.
- 5. The register to be maintained under sub-section (1) of section 110 for entering acquisition of rights or interests shall be in Form VII.
- 6. The intimation regarding acquisition of right shall be submitted to the Tahsildar under sub-section (2) of section 110 in Form VIII.

#### Part-B

## Registration of a case for mutation of land records

7. The Tahsildar shall issue notice under clause (b) of sub-section (3) of section 110 to all persons interested including the following persons and authorities -

- (a) in case the land has been given on lease or on license by the Government to the district head of the concerned department or where there is no such district head, then to the Secretary of the Department;
- (b) in case the land has been given on lease or on license by any Local Body, to the Chief Executive Officer of the concerned Local Body;
- (c) in case the land has been given on lease or on license by an authority established or controlled by the State Government to the District Head of such authority or where there is no such district head to the Chief Executive Officer of such authority.
- 8. (1) The Tahsildar shall fix a date not later than thirty days after the date of passing order under sub-section (4) of section 110 for the delivery of certified copy of the order and updated land records free of cost as provided under sub-section (5) of section 110.
  - (2) On the date so fixed certified copies of the order and updated Khasara and maps shall be delivered to both the parties. The Tahsildar shall make necessary entries in the Bhu-Adhikar Pustika or, if required, issue new Bhu-Adhikar Pustika to the parties.
  - (3) If any party so desires or if any party does not appear on the date fixed under sub-rule (2) the certified copies of the order and updated Khasara and map shall be sent to the party by registered post or by such other means as may be directed by the State Government.
- 9. Quarterly report of pending cases under sub-section (7) of section 110 shall be sent to the Collector in Form IX by the tenth day of the next quarter. The State Government may set up an electronic system for monitoring to generate such reports automatically.

#### Part-C

# Common Proceedings for Mutation and Partition in Case of Land Assessed for the Purpose of Agriculture

- 10. A party acquiring a right or interest in land assessed for the purpose of agriculture under section 59 may apply for effecting both the mutation of a right or interest in the land records under section 110 and partition of holding under section 178 in a common proceeding.
- 11. If an application is made under rule 10, the Tahsildar shall register a common case for mutation of rights in land records under section 110 and partition of holding under section 178 and proceed to hear and pass a common order in accordance with the provisions of the relevant sections.

# FORM-I (See Rule 3)

#### REPORT OF ACQUISITION OF BHUMISWAMI RIGHT OR INTEREST

To	),								
	Tahsilo	lar/Addition	al Tahsild	lar/Nail	Tahsild	ar			
	**********	•••••	Та	hsil	••••••	••			
	District	<b></b>	••••••	M.P					
				<u>P</u> A	ART-I				
I/V	We,	(N	lame),		••••••	•••••	hereby	report	the
		f Bhumiswa						utation in	land
rec	ords under	section 110	of the Co	de.					
1.	Particular:	s of persons	acquirin	g right	s or inte	rests:-			
	<del>,</del>	<u> </u>							-
S. No.	Name and	Name of Father/ Husband /	Gender	Age	Mobile phone	Scheduled Tribe/	Aadhar No/ Alternate	Remarks	

S. No.	Name and address	Father/ Husband / Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Tribe/ Other	Aadhar No/ Alternate ID	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.				<del></del>				
3.								

2. Particulars of persons whose rights/interests are transferred or persons assigning their interest to other persons including particulars of persons renouncing their claims on land in favour of any other persons:-

S. No.	Name and address	Name of Father/ Husband / Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Aadhar No/ Alternate ID	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.			<del></del>					
3.								

#### 3. Particulars of land and rights/interests:-

S. No.	Patwari halka No/Sector No.	Name of Village/ Urban Area	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area in hect. /sq.mtr.	Area of land over which Bhumiswami rights/interests have been acquired	Names of persons acquiring rights/ interests	Area/share of the persons acquiring rights/ interests
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							

# 4. Mode of acquisition of Bhumiswami rights/interests:-

S.No.	Mode	Required Document (Self attested copies to be attached)	Please tick ( $$ ) if the document is attached
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	By inheritance	1. Death Certificate or suitable proof of death of the deceased Bhumiswami or suitable proof	(4)
		2. Family tree/List of successors and their shares	
2.	By purchase	Registered sale deed	
3.	By will	Will	
4.	By gift	Registered Gift deed	<del> </del>
5.	By decree of Court	Decree of the court +	
6.	By land acquisition	Award passed	
	By land allotment	Order of the land allotment	
8.	By conversion of lease hold to free hold right	Award for assignment of freehold rights	
	By exchange of land	Registered deed of exchange land	
	By renouncing claims in land	Release deed	
11.	By any other mode (not mentioned above)	Copy/Registered deed of the document assigning/	
		extinguishing/modifying/creating rights	

## 5. Details of fee deposited:-

Amount in figures

Amount in words

Details of the receipt of the fee deposited

(1)

(2)

(3)

## **DECLARATION**

(	address !	ghter of/Wife of address
me/us is true and c been concealed by submitted by me/us	correct to the best of my/o me/us. I/we also unders is, legal action may be take t mutation in land records	y, declare (s) that the information given by our knowledge and belief and nothing has
1 1400		Signature
		Name
		(Person making report)

## **Mandatory Enclosures:-**

- (1)Copy of khasra
- Copy of pre mutation sketch (where applicable) (2)
- Copy of proof of address of persons acquiring rights or interests (3)
- Copy of proof of identity of persons acquiring rights or interests (4)
- If person making report is other than the person acquiring right or (5) interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished
- In case of juristic person-(6)
  - a document establishing the identity of the juristic person such as PAN card, GST Registration Number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration Certificate by the Registering Authority such as Registrar of Firms and Societies, Public Trusts etc. or Bank Account Pass Book etc.; and
  - (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- Copy of the documents specified in para 4 of the report above. (7)
- (8) Copy of receipt of fee.

To.

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.

(2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Number, Voter ID, Passport, Driving License, Pass Book of any Nationalized Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

#### PART-II ACKNOWLEDGMENT

Son/Daug Address	Kuhter/Wife of	***************************************
Date Place	Seal	(Name) Tahsildar/Addl.Tahsildar/Naib Tahsildar Tahsil District

#### FORM-II (SEE RULE 3)

# REPORT OF ACQUISITION OF LEASEHOLD RIGHT OR INTEREST

10,	
	Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar
	District
	PART-I
of lea	I/Wehereby report the acquisition sehold rights or interests in land and request for mutation in land records under section of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).
	ticulars of persons acquiring rights or interests.

S. No. (1)	Name and Address	Name of Father/ Husband / Guardian (3)	Gender	Age	Mobile Phone Number	Scheduled Tribe/ Other	Aadhar No/ Alternate ID	Remarks
1.		(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.								
3.								

2. Particulars of persons whose rights/interests are transferred or persons assigning their interest to other persons including particulars of persons renouncing their claims on land in favour of any other persons:-

S. No.	Name & Address	Name of Father/ Husband / Guardian	Gender	Age	Mobile Phone Number	Scheduled Tribe/ Other	Aadhar No/ Alternate 10	Remarks
1.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.								
3.								

# 3. Particulars of land and rights/interests:-

S. No.	Patwari Halka No/Sector No.	Name of Village/ Urban Area	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area in hect./ sq.mtr.	Area of land over which leasehold rights/ interests have been acquired	Names of persons acquiring rights/interests	Area/share of the persons acquiring rights/ interests
<u>(1)</u> 1.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.							
3.					-		

# 4. Mode of acquisition of leasehold rights/interests:-

S.No.	Mode	Required Document (self attested copies to be attached)	Please tick (√) If attached
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	By inheritance	<ol> <li>Death Certificate or suitable proof of death of the deceased Bhumiswami</li> <li>Family tree/List of successors and their share</li> </ol>	
2.	By purchase	Registered lease deed	
3.	By will	Will	
4.	By gift	Registered Gift deed	
5.	By decree of Court	Decree of the court	
6.	By land allotment	Order of the land allotment	
7.	By exchange of land	Registered deed of exchange of land	
8.	By renouncing claims in land	Release deed	
9.	By any other mode (not mentioned above)	Copy/Registered deed of the document assigning/ extinguishing/modifying/creating rights	

## 5. Details of fee deposited:-

		(in Rupees)	
Amount in figures	Amount in words	Details of receipt of the fee deposited	
(1)	(2)	(3)	

## **DECLARATION**

1. 1/weSon of/	Daughter of/Wite of
address (full address)	
information given by me/us is true and of and belief and nothing has been conceal in case of incorrect information submitt against me/us.  2. I/we request that mutation in land reprovided by me/us in this application.  Date	hereby, declare (s) that the correct to the best of my/our knowledged led by me/us. I/we also understand that ed by me/us legal action may be taken
	Signature
	Name
	(Person making report)

#### Mandatory Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre-mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring rights or interests
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring rights or interests
- (5) If person making report is other than the person right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished.
- (6) In case of juristic person:-
  - (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration Certificate by the Registering Authority such as Registrar of Firms and Societies, Public Trusts etc or Bank Account Pass Book etc.; and
  - (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above.
- (8) Copy of receipt of fee.

To

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.

(2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Number, Voter ID, Passport, Driving License, Pass Book of any Nationalized Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

#### PART-II ACKNOWLEDGMENT

10,		
Shri/Smt./F	ζu	
Son/Daugh	ter/Wife of	•••••
Address	***************************************	•••••
The report acknowledged.	of acquisition o	f right/interest given in Part-I above is hereby
Date Place	Seal	(Name) Tahsildar/Addl.Tahsildar/Naib Tahsildar Tahsil
•		District

#### FORM-III (SEE RULE 3)

### REPORT OF A MINOR BHUMISWAMI/LESSEE ATTAINING MAJORITY

	District.	••••••	**************	.M.P				
				PAR	T-I			
ittair or n	mucht of I	(najority by land recor	the follo	wing mi	nor Rhii	mieuvamia	hereby /lessees a	rep and requ
. Pa	rticulars (	of persons	who have	attaine	l majori	ity:-		
S. No.	Name and address	Name of Father/ Husband	Gender	Date of birth	Mobile Phone Number	Scheduled Tribe/ Other	Aadhar No/ Alternate	Remar
1.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. 3.								
S. No. (1)	Patwari halk	a No/sector	Name of V Urban a			rvey No./ No./Plot No. (4)		Area
1. 2 3.								(5)
		deposited:					<i>:</i>	
Amount in figures		Amount in words		S	(in rupees)  Details of receipt of the fee deposited			
(1)		(2) (3)						
			DECY	ARATIO	. TA.T			

in mo 2. pro Da	correct e/us. I/we ovided	information submitted	me/us. I/we also und by me/us, legal action	owledge and belief and erstand that in case of may be taken against as per the information
			Signa	ture
			Name	**************
			(Perso	on making report)
Ma	ndator	y Enclosures:-	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	- <del>-</del>
(1)		y of khasra		
(2)	Proc	of of address of persons at	taining majority	
(3) (4)	if ne	of of identity of persons at	taining majority	
(+)	auth.	rson making report is oth	er than the person attaining	g majority a letter of
	uuun	ority signed by the person	attaining majority along	with proof of address
(5)	Proo	proof of identity of the pe f of date of birth.	rson making report shall b	e furnished.
(6)		of receipt of fee.		
Note	es: (1) (2)	Passport, Driving Licen	he documents shall be atta e self attested copy of Aac se, Pass Book of any Nat ertified by any Gazetted ral Government.	tionalized Bank, or any
	•		PART -II	
To,			OWLEDGMENT	
	Shri/S	Smt./Ku		
	Son/D	Daughter/Wife of		
	Addre	SS	****************	
	The in	ntimation of mutation gi	ven in Part-I above is he	ereby acknowledged.
Date		Seal	(Nama)	
Place.	*****	Ç CAL	(Name)	
			Tahsildar/Add.Tahsild	
			Tahsil District	****************
			DISHICU	*******

#### **FORM-IV** (See Rule 3)

#### REPORT OF ACQUISITION OF RIGHT OR INTEREST (CASES OTHER THAN THOSE REQUIRED TO BE REPORTED IN FORM-I, FORM-III OR FORM-III)

To,
Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar
Tahsil
DistrictM.P
PART-I
I/We
1. Particulars of persons acquiring rights or interests.

S. No.	Name and Address	Name of Father/ Husband / Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/	Aadhar No/ Alternate ID	Remarks
(I) 1.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Other	(8)	(9)
2.						***************************************		
3.						<del></del>		

#### 2. Particulars of persons whose rights/interests are transferred or persons assigning their interest to other persons including particulars of persons renouncing their claims on land in favour of any other persons:-

S. No	Name and Address	Name of Father/ Husband / Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Aadhar No/ Alternate ID	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(0)
1.					1 3		(8)	(9)
2.				<del> </del>			-	
3				<del> </del> -	<del>                                     </del>			
<u>.,                                     </u>				l	l i		i [	

### 3. Particulars of land and rights/interests:-

i i				have been acquired	acquired	rights/interests	acquiring rights/interes
(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		ts
			(3)	(0)	(7)	(8)	(9)
	-						
_	(2)	(2) (3)	(2) (3) (4)	(2) (3) (4) (5)	(2) (3) (4) (5) (6)	(2) (3) (4) (5) (6) (7)	(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

### 4. Mode of acquisition of rights/interests:-

S.No.	Mode	Required Document (shall be attached) (self attested)	Please tick ( $$ ) If the document
(1)	(2)	(2)	is attached
1.	By inheritance	1. Death Certificate of the deceased or suitable proof of death	(4)
2.	By purchase	2. Family tree/List of successors and their share	
3.		Registered sale deed	
4.	By will	Will	<del> </del>
	By gift	Registered Gift deed	
5.	By decree of Court	Decree of the court	
6.	By land ailotment	Order of land allotment	
7.	By renouncing claims in land	Release deed	
8.	By any other mode (not mentioned above)	Copy/Registered deed of the document assigning/ extinguishing/modifying/creating rights	

### 5. Details of fee deposited:-

Amount in G		(in rupees)
Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the fee deposited
(1)	(2)	(3)
		(3)
		L

#### **DECLARATION**

address)	Wife ofaddress (full
the best of my/our knowledge and belief and nothing understand that in case of incorrect information su taken against me/us.  2. I/we request that mutation in land records be me/us in this application.	ion given by me/us is true and correct to g has been concealed by me/us. I/we also ibmitted by me/us, legal action may be
Date	
Place	
	Signature
	Name
	(Persons making report)

### Mandatory Enclosures:-

- Copy of khasra (1)
- Copy of pre mutation sketch (where applicable) (2)
- Copy of proof of address of persons acquiring rights or interests (3)
- Copy of proof of identity of persons acquiring rights on interests (4)

(5) If person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity shall be submitted.

(6) In case of juristic person:-

- (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN Card, GST Registration Number, CIN Number issued by the Registrar of Companies, Registration Certificate by the Registering Authority such as Registrar of Firms and Societies, Public Trusts etc or Bank Account pass book etc.; and
- (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above.
- (8) Copy of receipt of fee.

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.

(2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Number, Voter ID, Passport, Driving License, Pass Book of any Nationalized Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

#### PART-II ACKNOWLEDGMENT

To,		
Shri/Smt./Ku	•••••••	
Son/Daughter/W	ife of	
Address	*************************	
The intimation acknowledged.	of acquisition of rig	hts/interests given in Part-I above is hereby
Date Place	Seal	(Name) Tahsildar/Add.Tahsildar/Naib Tahsildar Tahsil District
		D19f1ff

### FORM-V (See Rule 3)

#### APPLICATION FOR COMMON PROCEEDING FOR MUTATION AND PARTITION OF HOLDING IN CASE OF LAND ASSESSED FOR THE PURPOSE OF AGRICUTURE

To,	Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib TahsildarTahsil
	DistrictM.P
	PART-I
	I/We
1 D	

### 1. Particulars of persons acquiring rights or interests:-

S. No.	Name and address	Name of Father/ Husband / Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Aadhar No/ Alternate ID	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.								
3.								

2. Particulars of persons whose rights are transferred or persons assigning their interest to other persons including particulars of persons renouncing their claims on land in favour of any other person and particulars of all co-sharers:-

S. No.	Name & Address	Name of Father/ Husband / Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Aadhar No/ Alternate ID	Remarks
(1) 1.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	- (9)
2.								
3.			<del></del>					

#### 3. Particulars of land:-

S. No.	Patwari halka No/sector No.	Name of Village/ Urban area	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area in hect. /sq.mtr.	Area of land over which Bhumiswami rights have been accrued/	Name of persons acquiring rights	Area/share of the persons acquiring rights
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	transferred (6)	(A)	ļ
1.	·				(6)	(7)	(8)
2.			<del></del>				
3.							
<u> </u>			1		1		1

### 4. Mode of acquisition of Bhumiswami rights:-

S.No.	Mode	Required Document (self attested copies to be attached)	Please tick (√) If attached
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	By inheritance	1. Death Certificate or proof of death of the deceased Bhumiswami	(4)
2.	By purchase	2. Family tree/List of successors and their share Registered sale deed	
3.	By will	Will	
4.	By gift	Registered Gift deed	
5.	By decree of Court	Decree of the court	
6.	By land allotment	Order of the land allotment	
7.	By exchange of land	Award passed	·
8.	By renouncing claims in land	Release deed	
9.	By any other mode (not mentioned above)	Copy/Registered deed of the document assigning/ extinguishing/modifying/creating rights	

## 5. Particulars for partition of holding assessed for purpose of agriculture-

S.No.	Holding Number	Survey Number	Area (in hect.)	Name of Bhumiswami	Share of each Bhumiswami
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		·			
2.		-			

### 6. Details of fee deposited:-

A		(in rupees)
Amount in figures	Amount in words	Details of receipt of the fee deposited
(1)	(2)	(2)
		(3)

#### DECLARATION

1. I/weson of/daughter of/Waddress)	Vife ofaddress (full
the best of my/our knowledge and belief and nothing understand that in case of incorrect information subtaken against me/us.	on given by me/us is true and correct to has been concealed by me/us. I/we also omitted by me/us, legal action may be
2. I/we request that mutation in land records and pagriculture be made as per the information provided by Date	partition of holding for the purpose of y me/us in this application.
	Signature
	Signature Name (Applicant)

#### Mandatory Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring rights or interests
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring rights on interests
- (5) If applicant is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the applicant shall be furnished.
- (6) In case of juristic person:
  - a document establishing the identity of the juristic person such as PAN Card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration Certificate by the Registering Authority such as Registrar of Firms and Societies, Public Trusts etc or Bank Account pass book etc.; and
  - (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of documents specified in para 4 of the report above.
- (8) Copy of receipt of fee.
- (9) Fard Batwara consented and signed by co-sharers (in undisputed case).

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.

(2) Proof of identity may be self-attested copy of Aadhar Number, Voter ID, Passport, Driving License, Pass Book of any Nationalized Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

#### PART-II

ACKNOWLEDGMENT

To,	ACIU	WEEDGMENT
Shri/Smt./	Ku	
Son/Daugl	nter/Wife of	
Address	***************************************	***************************************
rand records a	ud partition of hold	ight/interest and application for mutation in ling of land assessed for the purpose of ereby acknowledged.
Date Place	Seal	(Name) Tahsildar/Add.Tahsildar/Naib Tahsildar Tahsil District

#### FORM VI (See rule 4)

Registering Officer's return affecting land in Tahsil	of registered transactions,
Period from	. to

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	S.No. In registr ation	Name of Village /urban Area in which the land is situated	Patwari Halka No./ Sector No.	Nature of the docum ent	Survey No. or Block No or Plot No. affected by the transaction	Area affected by transaction (in hect./in sq.mtr.)	Name, address and mobile phone number of the executor of the document	Name, address and mobile phone number of the person in whose favour the document	Date of execution of the document	Details of fee paid for mutation in land records	Remark
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)

Signatu	re
Sub-Re	gistrar

Place..... Date.....

Seal

#### FORM VII (See rule 5)

### Register of Reports of Acquisition of Rights or Interests

DistrictTahsil.	.Patwari Halka No/Sector No
Village/Urban Area	

S. No.	Date of receipt of report under sub-section (1) of section 109	Name, Father's/Husba nd's name, address and mobile phone number of the person reporting	Name Father's/Husba nd's/ Guardian's name, address and mobile phone number of the person acquiring rights/interests	Particulars of land over which rights/interests have been acquired/renou nced	Nature of change in rights/interests in land	Form I, II, III, IV or V (as the case may be)	Date on which intimation sent to Tahsildar	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

To,

#### FORM VIII

#### (See rule 6)

Report of Patwari to Tahsildar under sub-section (2) of	section 110
	Date

	Dis Subject - In un This	tricttimation of Acquisitider sub-section (2) o	ion of rights interests in f section 110 of the Cod	nation that duri	•		
S.No.	Date of receipt of report under sub-section (1) of section 109	Name, Father's/Husband 's/Guardian's name, address and mobile phone number of person reporting	Name, Father's/Husband's/ Guardian's name, address and mobile phone number of the person acquiring rights/interests	Particulars of land over which rights/interests have been acquired/renound (Tahsil, Patwari Halka No./Urban Area/Village/Sector No./Survey No. Block No./ Plot No.	Nature of change in Rights/ interests in land	Form I,II,III,I V or V (as the case may be)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
D: PI	he Forms and ateateace	<b></b> 	N E	orwarded herewith for n  Name and Signature  Designation  Patwari halka No & Nam			

## FORM IX (See rule 10)

# Quarterly Report of the mutation case specified in sub-section (7) of Section 110 of the Code.

Position as on	(0	date)
District	Tahsil	Name of Court

Part A: Summary report of mutation cases pending beyond the two months (for undisputed cases) and six months (for disputed cases).

S.No.	Type of mutation cases	Total cases pending beyond 2 months/6 months (as applicable)	No of cases pending beyond 2 months/6 months (as applicable)				
			1-2	3-6	6 months	1-2	Beyond
			months	months	to 1 year	year	2 years
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Undisputed						\
2.	Disputed						
							L

Part B: List of undisputed mutation cases pending beyond 2 months.

S.No.	Case number	Date of institution of the case	Name of the parties	Current status of the case	Period of pendency of case (in years and months)	Reasons for pendency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Part C: List of undisputed mutation cases pending beyond 6 months.

S.No.	Case number	Date of institution of the case	Name of the parties	Current status of the case	Period of pendency of case (in years and months)	Reasons for pendency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Date		Name of Presiding Officer
		• ,
Place	Seal	Signature

By order and the name of the Governor of Madhya Pradesh, HARI RANJAN RAO, Principal Secy.